अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(13) परावि/एफ.एफ.सी./विविध/2015–16/3274 जयपुर, दिनांक:– 06-11-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त (भरतपुर, स.माधोपुर, जालोर एवं दौसा को छोड़कर)।

विषयः–12वें एवं 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तर्गत अवशेष राशि को वापस लौटाने बाबत्।

संदर्भः–संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के अ.शा. पत्रांक एम–11015/130/2017–एफडी दिनांक 17.09.2019, 18.10.2019 एवं विभागीय पत्रांक 2567 दिनांक 25.09.2019 एवं 2804 दिनांक 14.10.2019 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्रम में 12वें एवं 13वें केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के अन्तर्गत हस्तान्तरित राशि में से पंचायती राज संस्थाओं में अवशेष रही राशि, राशि के अवशेष रहने के कारणों की वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में विभागीय ई–मेल आई.डी. **rajpr.fa@rajasthan.gov.in/rajpr_cao1@rediffmail.com** पर तीन दिवस में भिजवाये जाने बाबत निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को 12वें एवं 13वें केन्द्रीय अन्तर्गत अवशेष रही राशि राशि के अवशेष रहने के कारणों की वांछित सूचना भिजवाने की अंतिम तिथि 30.11.2019 निर्धारित की गई है। उक्त निर्धारित समय सीमा में सूचनाएं न भिजवाने की स्थिति में आगामी किश्त की राशि प्राप्त नही होने पर पंचायती राज संस्थाएं स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 25.11.19 तक अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एफ.एफ.सी./2015–16/ जयपुर, दिनांक:–

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति –समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सरपंच/ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

(हरिसिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार

Allfiles/Kanchan/ffc/Latters

Scanned by CamScanner